नत्थीलाल बनाम पदमसिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. 38/15 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज (1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/7/19	पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उप० प्रा० पत्र 022 R 4(4) CPC पर निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य इस प्रकार है कि यह प्रकरण वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53, 54, आर०टी०एक्ट बाबत स्वत्व घोषणा, बटवारा कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु पेश किया गया है। प्रकरण मे दौरान दावा प्रतिवादी सं. 8 दीमान सिंह के फौत होने पर वकील वादी द्वारा दिनांक 15-3-2018 को न्यायालय मे यह जाहिर किया गया कि प्रतिवादी सं 8 दीमानसिंह फौत हो गया है न्यायालय उसी दिन वकील वादी को उसके कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए सीमा अधिनियम में निर्धारित अवधि 90 दिवस के उपरान्त भी कई महीने विलम्ब से दिनांक 31/01/2019 को वकील वादी द्वारा न्यायालय मे प्रा० पत्र 022 R. 4(4) CPC सहपठित धारा 151 CPC प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकाम हेतु पेश किया गया। जिसमे उनके द्वारा यह कथन किया है कि दीमानसिंह की ओर से एडवोकेट दिनेश चन्द शर्मा द्वारा दिनांक 14-3-15 को अन्डर रेकिंग दी गयी और बाद को आकर आज तक जवाब पेश नही किया न ही वाद को Contest किया तथा न ही प्रतिवादी Appear हुआ। इसलिए इस प्रकरण मे मृतक दीमान सिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की आवश्यकता नही है। अन्त मे प्रार्थना की है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिये जाने की	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः——

दूर प्रदान की जाकर, दावा में मृतक के नाम के सामने "फौत" शब्द अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 7/2/19 को प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनो से इन्कार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित है। प्रतिवादी सं. 8 पर विधिवत तामील नहीं हुई थी। अतः रिपोर्टिंग देने का कोई प्रावधान नहीं है। मृतक हीमान सिंह का कोई अधिवक्ता नहीं रहा है इसलिए सूचना देने का अवसर नहीं रहा है। आदेशिका दिनांक 15-3-2018 में हीमान सिंह की मृत्यु की सूचना होने के उपरान्त भी वकील वादी व वादीगण द्वारा मृतक के विधिक उत्तराधिकारीगण को प्रतिस्थापित समय पर करने की कार्यवाही नहीं की है इसलिए दावा अबेट हो चुका है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह दावा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है इसमें मृतक के कायम मुकाम को प्रतिस्थापित करने से छूट दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मृतक को विधिवत तामील भी नहीं हुई है एवं नहीं एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। प्रा० पत्र में मृतक की मृत्यु की दिनांक वादीगण ने जानबूझ कर नहीं लिखी है। मृतक के पुत्र हेत्यासिंह के कायम मुकाम तथा मृतक पुत्र कन्तोसिंह, महेन्द्र, लोकन सिंह, धर्मसिंह, प्रवीण, विनोद व तत्वा पौत्रीगण हैं जिन्हें रिकार्ड पर लेने की समय सीमा कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिए दावा अबेट हो अतः एवं खारिज किये जाने योग्य है इसलिए खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील वादी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के समस्त कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि दावा स्वत्व घोषणा के साथ बंटवारे का भी है इसलिए दावा खारिज नहीं हो सकता है। मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेना जरूरी नहीं है हीमान सिंह की ... में अ...

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

आदेश रोकिंग हो चुकी है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसको तामील हुई लेकिन वह contest करने के लिए नहीं आया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादी सं. 8 के स्थान पर वारिस अंकित किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में उनके द्वारा RBJ 2010 पृष्ठ 681, RRD-2007 पृष्ठ-127, RRD-1999 पृष्ठ 161, AIR (SC) 1985 पृष्ठ 606, DMJ-2016 पृष्ठ 790 की कानूनी नजीरें पेश की हैं।

बहस वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया तथा कथन किया है कि मृतक हीमान सिंह की विधिवत तामील नहीं हुई थी, न ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है। इसलिए उसके वारिसान का रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। न्यायालय में दिनांक 15-3-2018 को वकील वादी द्वारा स्वयं हीमान सिंह की मृत्यु की सूचना देने के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि 90 दिन में उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सूचना के लगभग 11 माह पश्चात, यह प्रार्थना पत्र हीमान सिंह के कायम मुकाम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, जिससे दावा स्वतः ही अबेट हो चुका है। अबेटमेन्ट को निरस्त कराने के लिए धारा 05 सीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है न ही इस प्रार्थना पत्र में O22 R4 व 9 को इंगित कर उपशमन को निरस्त कराने के लिए कोई प्रार्थना की गयी है। इसलिए उपशमन का निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। यह दावा स्वत्व घोषणा का है तथा असल प्रतिवादी जिसके विरुद्ध डिक्री चाही है कि विरुद्ध दावा अबेट हुआ हो ऐसी स्थिति में दावा आंशिक अबेट न होकर पूरा दावा अबेट होगा। इसलिए दावा अबेट हो चुका है। जिसके कारण खारिज योग्य है एवं खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RRD 2016 पृष्ठ 1121, RRT 2010 (SC) पृष्ठ 1458, RRT-2016 पृष्ठ 1124, RRD 1986 पृष्ठ 707, DMJ राजस्थान 2009 पृष्ठ 215, RLW-2007 (1) पृष्ठ 595 (HC) RRW-1992 (2) पृष्ठ 91 (HC) की कानूनी नजीरें पेश की।

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह दावा स्वत्व घोषणा, बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तीनों अनुतोष बावत है। प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमान सिंह की मृत्यु होने की सूचना वकील वादी द्वारा स्वयं दिनांक 15-3-2018 को न्यायालय को दी है। श्रीमान सिंह दावा में असल प्रतिवादी है उसके विरुद्ध दावा में स्वत्व घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इसलिए उसके वारिसान का रिकार्ड पर लिया जाना अति आवश्यक है। श्रीमान सिंह के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी अमल में नहीं लायी गयी है। न ही उसको विधिवत तामील हुई है। श्रीमान सिंह के वारिसान के रिकार्ड पर लेने के लिए निर्धारित अवधि 90 दिन दि. 15-6-18 को पूर्ण हुए है। इस अवधि में उसके कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वकील वादी द्वारा श्रीमान सिंह के कायम मुकामान के सम्बन्ध में दिनांक 07-2-19 को इस न्यायालय में प्रा. पत्र O22 R 4(5) CPC पेश किया है जो लगभग 7 माह 20 दिन विलम्ब से पेश हुआ है। इसलिए वादी का दावा सीमा अधिनियम के तहत स्वतः ही अबेट हो चुका है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में श्रीमान सिंह के वारिसान को रिकार्ड पर न लेने की बात कही है तथा उसके सामने [कोर] शब्द लगाने की स्वीकृति चाही है। प्रा. पत्र में अबेटमेंट को निरस्त करने के लिए कोई निवेदन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मर्जी से अबेटमेन्ट (उपशमन) को निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दे सकता है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र O22 R 4(5) में प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने का कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताया है न ही बहस में इस बावत कोई तर्क दिया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी की ओर से श्रीमान सिंह के कायम मुकाम के सम्बन्ध में जानबूझकर लापरवाही बरती है जो क्षमा योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 8 श्रीमान सिंह के [प्रति] दावा अबेट हो चुका है। चूंकि यह दावा स्वत्व घोषणा का है एवं श्रीमान सिंह के विरुद्ध डिक्री चाही गयी है ऐसी स्थिति में

चल सकता है इसलिए ऐसा दावा अबेट माना जावेगा। कानूनी नजीर RLW-2007(1) पृष्ठ 595 (HC) एवं RLW-1992 (HC) पृष्ठ 91 के अनुसार यदि दावा स्वत्व घोषणा का है तो एक असल प्रतिवादी के विरुद्ध अबेट होने पर सम्पूर्ण दावा अबेट होगा।

RRT 2010(2) पृष्ठ 1458-59 के अनुसार CPC-1908 के O22 R9 में वाद का उपशमन अपील के विचाराधीन वादी अपीलार्थी की मृत्यु हुई। मियाद में आवेदन पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उपशमन स्वतः ही है। इसके लिए पृथक से विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नहीं है।

DNJ राजस्थान-2009 पृष्ठ 215 की कानूनी नजीर में 30 दिन के विलम्ब को भी क्षमा नहीं किया गया तथा विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण न होने के अभाव में दावा अबेट किया गया है। यह कानूनी नजीर इस प्रकरण में भली भाँति चस्पा होती है। उपरोक्त विवेचनों से दावा स्वतः ही अबेट हो चुका है तथा अबेट हो जाने के कारण खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र O22 R-4(4) स्वीकार योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दावा स्वतः ही अबेट हो जाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। [illegible] पत्रावली जाब्ते कैफियत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)